भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *185

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 अगस्त, 2021 /11 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए घोषित उपाय

***185 श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः**
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अब तक घोषित किए गए उपायों के फलस्वरूप कोविड-19 वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी लाभान्वित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पुनरुज्जीवित करने हेतु किए गए सटीक उपाय क्या है; और

(घ) क्या दक्षता लाभ हासिल करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़े उद्योगों की संभार तंत्र संबंधी श्रृंखला में एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए घोषित उपाय" के संबंध में श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले और श्री बी.वाई. राघवेन्द्र द्वारा पूछे गए दिनांक 02.08.2021 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *185 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग):

I. जी हां, अब तक घोषित उपायों में विभिन्न दीर्घावधि स्कीमें/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी लाभ पहुंचाना है। इन उपायों के परिणाम एक समय अवधि के बाद ही देखने को मिलेंगे। जून, 2021 में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत, 2021-22 के बजट और हाल ही में घोषित वित्तीय पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई से संबंधित अब तक के हाल ही में घोषित मुख्य योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

II. एमएसएमई के निर्यातों सहित उनकी सहायता के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की ऋण आवश्यकता के लिए सूक्ष्म इकाईयों को ऋण देने हेतु मुद्रा बैंकों/एमएसआई/एनबीएफसी को पुनर्वित्तपोषण सहायता प्रदान करता है। एमएसएमई घरेलू और निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें इसके लिए सरकार ने स्कीमें शुरू की हैं जैसे कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी स्कीम, पारंपरिक उद्योगों को अवसंरचना सहायता और कारीगरों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु एक कलस्टर के रूप में संगठित करने के लिए स्फूर्ति स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने, उद्योग को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने, उपकरण कक्षों/प्रौद्योगिकी केंद्रों आदि के माध्यम से गुणवत्तायुक्त उपकरणों की रचना और उनका विनिर्माण करने के लिए कलस्टर विकास कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम कार्यान्वित कर रहा है ताकि एमएसएमई व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल प्रौद्योगिकी/स्तरोन्नयन के नए क्षेत्रों को खोजने के लिए, संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाने, एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार में सुधार लाने, अन्य के साथ-साथ विदेशी सहयोग हेतु अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में दौरा/भाग ले सकें। सरकार परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश व्यापार की जटिलताओं पर नए और संभावित निर्यातकों के परामर्श के लिए निर्यात बंधु स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। निर्यातों को बढ़ाने के लिए संकेंद्रित उपायों के लिए कलस्टर में उत्पाद की निर्यात संभावना और उद्योगों की संख्या के आधार पर "एमएसएमई कलस्टर" अभिज्ञात किए गए हैं।

III. ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस) से निर्यातकों को लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् क्रियाकलापों के लिए रुपये क्रेडिट का एक सस्ता स्रोत मिलता है। वर्तमान में, व्यापारियों और विनिर्माणकर्ता निर्यातकों के लिए आईईएस में 3 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता दरों पर चार अंकों की 416 आईटीसी-एचएस टैरिफ और एमएसएमई के लिए 5 प्रतिशत दरों के साथ सभी टैरिफ सम्मिलित हैं। इस स्कीम का विस्तार 30 सितंबर, 2021 तक के लिए किया गया है।

IV. आरबीआई ने एमएसएमई सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अबाधित ऋण की उपलब्धता के लिए कई मौद्रिक और नकदी उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय **अनुबंध-I (घ)** में सूचीबद्ध हैं। समग्र रूप से, आरबीआई ने फरवरी 2020 से कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये (2020-21 की अंकित जीडीपी का 8.7 प्रतिशत) नकदी वृद्धि के उपायों की घोषणा की है।

(घ) और (ङ): सामान्य रूप से एमएसएमई और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को बड़े उद्योगों के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि अधिकांश ऐसी इकाईयां संबद्ध आपूर्तिकर्ताओं अथवा विक्रेताओं के रूप में कार्य करती हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि अधिकतर एमएसएमई आमतौर पर उच्चतर उद्योग आधार वाले क्षेत्रों में बेहतर कार्य करते हैं। भारत सरकार भी बड़े संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विक्रेता विकास कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए एमएसएमई को बड़े उद्योगों के साथ एकीकृत करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि एमएसएमई को कच्चे माल की अधिप्राप्ति, सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदि के कार्यान्वयन में एमएसएमई को मदद मिल सके। इस संबंध में, *सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012* ने प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को एमएसई क्षेत्र से 25 प्रतिशत की न्यूनतम खरीद का वार्षिक लक्ष्य तय करने हेतु अधिदेशित किया गया था। कुल 149 सीपीएससी ने 2020-21 के आंकड़ों को अपलोड कर दिया है। सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय की राशि का भाग 40442.86 करोड़ रुपये (174701 सूक्ष्म और लघु उद्यम लाभान्वित हुए) है जो कुल अधिप्राप्ति का 28.12 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, *सार्वजनिक प्राथमिकता (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017* ने भारत में विनिर्माण वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन अनिवार्य कर दिया है जिसमें स्थानीय विनिर्माणकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं और स्थानीय अंतर्वस्तु आवश्यकता को प्राथमिकता देने से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं विशेषकर एमएसएमई द्वारा सार्वजिनक खरीद को सहायता मिल रही है।

*****

अनुबंध-I

आत्मनिर्भर भारत घोषणाएं-एमएसएमई के लिए

क. आत्मनिर्भर भारत

1. **एमएसएमई सहित कारोबारों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के ज़मानत-मुक्त स्वत:** ऋण: पूर्ण गारंटीयुक्त आपातकालीन ऋण के रूप में एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त निधियन उपलब्ध कराते हुए उनको राहत उपाय के तौर पर आपातकालीन ऋण गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) तैयार की गई है। वे उधारकर्ता पात्र होंगे जिनका 25 करोड़ रुपये बकाया है और 100 करोड़ रुपये का कारोबार है। इस स्कीम में बैंकों और एनबीएफसी को मूलधन तथा ब्याज पर 100 प्रतिशत ऋण गारंटी दी गई है। किसी गारंटी शुल्क, किसी नई ज़मानत राशि की आवश्यकता नहीं है।

2. **तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण:** एमएसएमई, जिनकी अनर्जक आस्तियां हैं अथवा जो तनावग्रस्त हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ रुपये के अधीनस्थ ऋण का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) को सरकार 4,000 करोड़ रुपये की मदद देगी। बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे एमएसएमई के प्रोत्साहकों को अधिकतम 75 लाख की सीमा के अध्यधीन इकाई में मौजूदा हिस्सेदारी के 15 प्रतिशत के बराबर अधीनस्थ ऋण प्रदान करेंगे।

3. **एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश:** सरकार 10,000 करोड़ रुपये की निधियों की निधि स्थापित करेगी जिससे एमएसएमई के लिए इक्विटी वित्तपोषण सहायता मिलेगी। निधियों की निधि एक मूल और कुछ छोटी निधियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। इनसे व्यवहार्य एमएसएमई का इक्विटी वित्तपोषण होगा। इस स्कीम से एमएसएमई को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे वे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।

4. **एमएसएमई की नई परिभाषा:** एमएसएमई की परिभाषा में निवेश की आरंभिक सीमा कम किए जाने से एमएसएमई के बीच यह भय उत्पन्न हो गया है कि वे लाभों से धीरे-धीरे वंचित हो जाएंगे। अत: निवेश की सीमा बढ़ाकर सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया है। कारोबार का एक अतिरिक्त मानदंड जोड़ा गया है और विनिर्माण एवं सेवा सेक्टर के बीच का फर्क समाप्त कर दिया गया है।

5. **200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं को प्रतिबंधित किया जाना:** 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य के माल और सेवाओं की सरकारी अधिप्राप्ति में वैश्विक निविदा प्रतिबंधित करने के लिए सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली में संशोधन किया गया है। इस उपाय से मेक इन इंडिया पहल को समर्थन और एमएसएमई को बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा ।

6. **एमएसएमई के लिए अन्य उपाय:** एमएसएमई के लिए ई-बाजार लिंकेज व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के प्रतिस्थानापन्न के रूप में कार्य करेगा। सरकारी और सीपीएसई से एमएसएमई प्राप्यों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। मई, 2020 से और 26.07.2021 तक, एमएसएमई को 55863.30 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया गया है। इससे एमएसएमई को विपणन और नकदी की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी।

7. **आयकर धनवापसी:** लगभग 8.2 लाख लघु व्यापारों को 5,204 करोड़ रुपये मूल्य की आयकर धनवापसी इस उद्देश्य से जारी की गई है कि चुनौतियों से भरपूर इस समय में कर्मचारियों की वेतन कटौती और छंटनी किए बगैर एमएसएमई अपने कारोबारी क्रियाकलापों को चला सकें।

8. **मुद्रा-शिशु ऋणों को 1500 करोड़ रुपये की राहत:** भारत सरकार तुरंत ऋण चुकाने वालों को 12 माह की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुद्रा के अंतर्गत छोटे कारोबारों को लाभ मिलेगा।

9. **एमएसएमई समेत व्यापार के लिए कारोबारी सुगमता:** सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) संबंधी उपायों के माध्यम से कारोबार करने की सुगमता में और अधिक वृद्धि की घोषणा की है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं (क) शोधन अक्षमता कार्यवाहियां शुरू करने के लिए न्यूनतम आरंभिक सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना (जिससे अधिकतर एमएसएमई का बचाव होगा), (ख) इस संहिता की धारा 240क के अंतर्गत एमएसएमई के लिए विशेष शोधन अक्षमता समाधान रूपरेखा, (ग) वैश्विक महामारी की स्थिति पर निर्भर करते हुए, शोधन अक्षमता कार्यवाहियों की नई शुरूआत को 1 वर्ष तक के लिए रोकना और (घ) शोधन अक्षमता कार्यवाहियां बढ़ाने के प्रयोजनार्थ इस संहिता के अंतर्गत कोविड-19 संबंधी ऋण को ''चूक'' की परिभाषा से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करना।

10. **सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ऋण गारंटी स्कीम:** लगभग 25 लाख लघु उधारकर्ताओं को 1.25 लाख रुपये का उधार प्रदान करने के लिए नए अथवा मौजूदा एनबीएफसी-एमएफआई अथवा एमएफआई को ऋण देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी प्रदान की जानी है। निधियों की आंशिक लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) जमा 2 प्रतिशत पर बैंकों से ऋण सीमित किया जाना। अधिकतम ऋण अवधि 3 वर्ष की होगी और 80 प्रतिशत सहायता का उपयोग एमएफआई द्वारा वृद्धिशील उधार देने के लिए किया जाना है। आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम की दर से ब्याज लगाया जाएगा। एमएलआई द्वारा एमएफआई/एनबीएफसी-एमएफआई को वित्तपोषण के लिए उपलब्ध गारंटी कवर 31 मार्च, 2022 तक अथवा 7,500 करोड़ रुपये राशि की गारंटियां जारी होने, जो भी पहले हो, तक होगा।

11. **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:** उद्यम पंजीकरण पोर्टल एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए एक उद्यमी स्वयं को सरकारी ई-बाजार (जीईएम) स्थान से जोड़ने का विकल्प चुन सकता है। इस सुविधा से, सूक्ष्म और लघु उद्यम स्वयं को सरकारी अधिप्राप्ति प्रणाली से जोड़ सकते हैं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की ओर से सरकार के अनिवार्य अधिप्राप्ति कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस पोर्टल का संबंध आईटी, जीएसटी एवं टीआरईडी पोर्टलों के साथ भी है।

12. भारत सरकार ने 02.07.2021 को खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। तथापि, खुदरा और थोक व्यापार में करने वाले एमएसएमई को लाभ केवल प्राथमिक सेक्टर उधार के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने पर ही दिए जाएंगे। इस उपाय से बहुत बड़ी संख्या में व्यापारिक इकाईयां लाभान्वित होंगी।

13. संसद द्वारा फैक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधनों को अनुमोदित कर लिया गया है जो एनबीएफसी द्वारा एमएसएमई को ऋण की आपूर्ति को बढ़ावा देंगे।

14. सरकार ने 23.10.2020 को विशिष्ट ऋण खातों के उधारकर्ताओं को छः माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच की शेष राशि के अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने की योजना को अनुमोदित कर दिया है।

<u>ख. 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट</u>

1. मामलों का तेजी से समाधान सुनिश्चित करने के लिए, एनसीएलटी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, ई-न्यायालय प्रणाली लागू की जाएगी और ऋण समाधान के वैकल्पिक तरीके तथा **एमएसएमई के लिए विशेष ढांचा आरंभ किया जाएगा।**

2. **एमएसएमई** के लिए 15,700 करोड़ रुपये का **बजटीय आवंटन** वर्ष 2021-22 में मुहैया कराया गया, जो कि 2020-21 के बजट अनुमान के दोगुने से भी ज्यादा है।

3. धातु के पुनर्चक्रण करने वालों, ज्यादातर एमएसएमई को राहत देने के लिए गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध, फ्लैट और लंबे उत्पादों पर **सीमा शुल्क को समान रूप** से **घटाकर** 7.5% **कर दिया गया है**। स्टील स्क्रैप पर शुल्क में 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए छूट दी गई है।

4. कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर और यार्न पर **मूल सीमा शुल्क दरों को समान रूप से घटाकर** 5% कर दिया गया है। इससे कपड़ा उद्योग, एमएसएमई और निर्यात को भी मदद मिलेगी ।

5. एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए **सीमा शुल्क में कुछ बदलाव** किए गए हैं। स्टील पेच और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% की गई । झींगा फ़ीड पर इसे 5 % से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। 36 वस्त्रों, चमड़ा और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में शुल्क मुक्त वस्तुओं के आयात पर छूट को युक्तिसंगत बनाया गया है। लगभग इन सभी वस्तुओं का निर्माण घरेलू स्तर पर एमएसएमई द्वारा किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट वापस ले ली गई है क्योंकि ये ज्यादातर एमएसएमई द्वारा घरेलू स्तर पर अच्छी मात्रा और गुणवत्ता में उत्पादित किए जाते हैं। तैयार सिंथेटिक रत्न पत्थरों पर उनके घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है।

<u>ग. 28 जून 2021 को घोषित राहत पैकेज में एमएसएमई से संबंधित घोषणाएं</u>

1. कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बुनियादी चिकित्सा ढांचे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज दर की सीमा 8.25% प्रति वर्ष रखी गई है और उभरती जरूरतों के आधार पर आगे के निर्णय बाद में लिए जाएंगे।

2. आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई । अनुमत गारंटी और ऋण राशि की सीमा प्रत्येक ऋण पर बकाया के मौजूदा स्तर के 20% से ऊपर बढ़ा दी गई है। अनुमत गारंटी की समग्र सीमा 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

3. आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार जो 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू की गई है। इस योजना की अवधि 30.6.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दी गई है। ईपीएफओ के माध्यम से नए रोजगार के सृजन, रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। 58.50 लाख अनुमानित लाभार्थियों के लिए 22,810 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30.06.2021 है। 15000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारियों के लिए पंजीकरण से दो वर्ष के लिए निम्नलिखित के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है:

(i) 1000 कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थापन के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से का अंशदान (मजदूरी का कुल 24%) ।

(ii) 1000 से अधिक संख्या वाले संस्थापन के मामले में केवल कर्मचारी का हिस्सा (मजदूरी का 12%)।

4. निर्यात बीमा कवर को प्रोत्साहित करने के लिए 88,000 करोड़ रुपये निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देता है। 88,000 करोड़ रुपये तक निर्यात बीमा कवर को प्रोत्साहित करने हेतु ईसीजीसी में 5 वर्ष की अवधि में इक्विटी निवेश प्रस्तावित है ।

<u>घ. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय</u>

1. चूंकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटी प्रदत्त आपातकालीन ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए ऋण सुविधाएं भारत सरकार द्वारा शर्त रहित अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित, सदस्य उधारदाता संस्थाओं, अर्थात, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (अनुसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), एनबीएफसी (और इस योजना के तहत पात्र एचएफसी सहित) और एआईएफआई को गारंटी कवरेज की सीमा तक **ईसीएलजीएस योजना के अंतर्गत दी गई ऋण सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार समनुदेशित करने की अनुमति दी गई है**।

2. कोविड-19 के प्रसार के कारण व्यवहार्य एमएसएमई इकाईयों की सहायता करने की आवश्यकता को देखते हुए, **एमएसएमई** को परिसंपत्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना **ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन की** योजना का विस्तार किया गया, जहां उधारकर्ता का खाता '1 मार्च, 2020 तक 'मानक परिसंपत्ति' था और बैंकों तथा एनबीएफसी का कुल जोखिम 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं था। कुछ शर्तों के अध्यधीन, पुनर्गठन को 31 मार्च, 2021 तक लागू किया जाना था।

3. **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** को नकद आरक्षित अनुपात की गणना के **लिए नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को उनकी निवल मांग और आवधिक देनदारियों (एनडीटीएल) से वितरित ऋण में कटौती करने की अनुमति दी गई** है। बैंकिंग प्रणाली में एमएसएमई को शामिल करने और प्रोत्साहित करने के लिए, 25 लाख रुपये तक के जोखिम और 1 अक्टूबर तक वितरित ऋण के लिए उपलब्ध इस छूट की अनुमति 31 दिसंबर, 2021 तक दी जा रही है।

4. **भारतीय** लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रचलित नीति रेपो दर पर उपलब्ध नए मॉडलों और संरचनाओं के माध्यम से ऋण/पुनर्वित्त के लिए **16,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी सुविधा**।

5. **समाधान रूपरेखा 2.0 के तहत एमएसएमई लेखाओं का पुनर्गठन:** कुल 25 करोड़ रुपये तक के जोखिम वाले और 31 मार्च, 2021 के लिए मानक के रूप में वर्गीकृत, व्यक्तिगत ऋण लेने वाले छोटे व्यवसाय और नवीनतम एमएसएमई ढांचे के अंतर्गत पात्र हैं। हालाँकि, उन्हें पहले के किसी भी ढांचे (अगस्त 2020 के समाधान सहित) के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। नवीनतम ढांचे के तहत पुनर्गठन को 30 सितंबर, 2021 तक लागू करने की आवश्यकता है और लागू करने के बाद 90 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा।

****